न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 40/2018 बअनवान शिवनारायण बनाम लूणचन्द वगैरा

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. शिवनारायण पुत्र श्री लूणचन्द जाति महाजन उम्र 53 वर्ष निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर राज, हाल निवासी भदवासिया फाटक के अन्दर रोजगार कार्यालय के पास महामदिर जोधपुर।		01.लूणचन्द पुत्र स्व, श्री धनराज जाति महाजन निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02. अमरचन्द पुत्र श्री लूणचन्द जाति महाजन निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03. श्रीमती गोंमती पुत्री श्री लूणचन्द पत्नी श्री कैलाष राठी जाति महाजन निवासी सिह पोल जूनी मण्डी जोधपुर राज। 04. श्रीमती जमना पुत्री श्री लूणचन्द पत्नी श्री महेश तापडिया जामि महाजन निवासी जालोरी गेट के अन्दर बालाजी मन्दिर के पास वाली गली कबूतरो का चौक जोधपुर। 05. श्री रणजीत जोशी पुत्र श्री रणछोडदास जोशी निचासी 358 L.I.C.H कमला नेहरू नगर जोधपुर। 06. श्रीमती नीलम जोशी पत्नी रणजीत जोशी निवासी 358 L.I.C.H कमला नेहरू नगर जोधपुर। 07. श्री विश्वजीत जोशी पुत्र रणजीत जोशी निवासी 358 L.I.C.H कमला नेहरू नगर जोधपुर। 08. श्री अभिजीत जोशी पुत्र रणजीत जोशी निवासी 358 L.I.C.H कमला नेहरू नगर जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर,टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रूपचन्द सेन उपस्थित।
02. अप्रार्थी सख्या 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रणजीत जोशी उपस्थित।
03. अप्रार्थी सख्सा 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष देवाणा उपस्थितं।
04. अप्रार्थी सख्सा 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित।

आदेश

दिनांक 30/9/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का बहस मे कथन रहा कि पक्षकारान एक की परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के दादा स्व धनराज जी के खातेदारी की कूषि भूमि खसरा नम्बर 77,78,80,81,82,83,85,एव 175 कुल 162.04 बीधा भूमि ग्राम झंवर तहसील लूणी मे आई हुई है जो वक्त सेटलमेट से वादी के दादा के नाम से थी। प्रार्थी के दादा ने अपने जीवन काल मे कुछ भूमि विक्रय कर दी शेष भूमि उनकी मुत्यु के बाद प्रार्थी की दादी अणची देवी के नाम से दर्ज हुई। अणची देवी की मृत्यु के पश्चात कुषि भूमि प्रार्थी के पिता एव चाचा के नाम दर्ज हो गईं जिसका सहमति से बटवाडा होने के बाद खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीधा खसरा नम्बर 84 रकबा 10.06 बीधा एव खसरा नम्बर 83 रकबा 20 बीधा इस प्रकार कुल 40.06 बीधा भूमि जरिये नामान्तरणकरण 1376 प्रार्थी के पिता लूणचन्द के नाम दर्ज की। इस प्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमे प्रार्थी का बाई बर्थ राइट है तथा प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है। प्रार्थी के पिता लूणचन्द ने उक्त कूषि भूमि मे से 10 बीधा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भूमि जरिये विकय विलेख 26.11.2016 को अप्रार्थी सख्या 5 से 8 को विकय कर दी। प्रार्थी अपने हिस्से को अलग करवाने का निवेदन किया। परन्तु अप्रार्थी नही मान रहे है तथा कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है ऐसी स्थित मे अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपयोग मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा भूमि मे प्रार्थी के हक हिस्से का बेचान हस्तान्तरण नही करे।

अप्रार्थी सख्या 1 से 3 की ओर से बहस मे निवेदन किया किया कि अप्रार्थी सख्या 1 विवादग्रस्त भूमि का रिकोर्डट खातेदार है तथा मौके पर एक मात्र काबिज है। प्रार्थी का किसी भी रूप मे हक अधिकार एव कब्जा नही है तथा न हि रहा है तथा प्रार्थी का जन्म से भूमि पर कोई हक अधिकार नही था ओर नही आज दिन है। प्रार्थी वर्षो पूर्व हि अप्रार्थी के परिवार से अलग होकर महामिन्दर जोधपुर मे रह रहा है तथा इसी भी झंवर एव विवादग्रस्त भूमि पर नही आया न ही उसका हक अधिकार है। परिवार के किसी भी कार्य मे शामिल नही हुआ तथा न ही कानूनी रूा से विवादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हक है। तथा अपने जबाव को बहस का भाग होना बताया। साथ ही हिन्दु उताराधिकार के तहत भी प्रार्थी का लूणचन्द के जीवनकाल मे कोई अधिकार उत्पन्न नही होने का कथन किया एव कानूनी रूप से भी रिकोटेड खातेदार के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा जारी नही करने का कथन किया तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने का कथन किया। अपनी बहस के समर्थन मे धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम का भह कथन किया गया। एव न्यायिक दृष्टाय सीसीसी 2010 (2) पेज 74 आरआरडी 1984 पेज 492 आरआरटी 2018(1) 692 आरआरटी (2) 2006 पेज 1410 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सख्या 4 ने अपने जबाव को ही बहस बताया। अप्रार्थी सख्या 5 से 8 की ओर से बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थी खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीघा का सदभाविक केता है जिन्होने उचित प्रतिफल देकर भूमि को कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा आज दिन बेचाननामा प्रभाव मे है तथा प्रार्थी द्वारा बदनिपति से विवादग्रस्त भूमि बाबत पूर्व मे हुए बेचान एव बटवाडे को चेलेज किए वगेरा तथा उसमे वर्णित पक्षकारो को वाद मे पक्षकर बनाये वगैरा वाद पेश किया जो खारिज किए जाने योग्य है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट प्रतीत होती है कि विवादग्रस्त भूमि मे खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी सख्या 5 से 8 के नाम दर्ज है जो अंकन पंजीबद्व बेचाननामा के आधार पर आया है तथा बेचाननामा आज दिन प्रभावी है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नही किया है ऐसी स्थिति मे एक सदभाविक केता के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 8 रिकोर्डेट खातेदार भी हैं। इन परिस्थितियों में कानूनी तौर पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है तथा खसरा नं. 84 रकबा 10.06 बीघा एवं खसरा नं. 83 रकबा 20 बीघा कुल भूमि 30.06 बीघा भूमि अप्रार्थी लूणचंद के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 लूणचंद प्रार्थी का पिता है तथा कृषि भूमिमें प्रार्थी अपने पिता के नाम से दर्ज भूमि में से ही अपना 1/5 हिस्सा क्लेम करता है चूंकि वर्तमान में प्रार्थी के पिता लूणचंद के नाम से खसंरा संख्या 83 एवं 84 की कुल 30.06 बीघा भूमि ही इन्द्राज है। शेष भूमि खसरा नं. 81 रकबा 10 बीघा का बेचान पूर्व में ही किया जा चुका है ऐसी स्थिति में खसरा नं. 83 एवं 84 का कुल 30 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी 1/5 हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त खसरा नं. 83 एवं 84 की कुल 30 बीघा 06 बिस्वा भूमि में 1/5 हिस्से तक बेचान हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि वो खसरा नं. 83 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नं. 84

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रकबा 10.06 बीघा कुल रकबा 30.06 बीघा झंवर में 1/5 हिस्सा का बेचान नहीं करें। जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2018 को खसरा नम्बर 83,84 कुल रकबा 30.06 बीघा मे प्रार्थी के हक हिस्से तक यथावत रखा जाता है। तथा अप्रार्थी सख्या 01 के द्वारा खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीघा अप्रार्थी सख्या 5 से 8 तक को विक्रय किये जाने से अंतरिम निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार आर,ए,एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी